कार्यालय नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर)।

पत्रांकः– 998 /प्र0वि0/ 2019–20 दिनांक 11/10/19

अतिअल्पकालीन ई–निविदा सूचना

शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत अनुभवी ठेकेदारों/रजिस्ट्रर्ड फर्मो को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर राज्यवित्त आयोग की प्राप्त धन राशि से नगर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रदेश के नगर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये जाने वाली एल0ई0डी0 लाईटों/ल्यूमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत दिशानिर्देशों में संशोधन विषयक शासनादेश सं0–818/ नौ–8– 2018–96ज/2015 नगर विकास अनुभाग–08 लखनऊ दिनांक–27.03.2018 द्वारा एल0ई0डी0 लाईटो के तकनीकी मानाकों में किये गये परिवर्तन के अनुसार 150वाट क्षमता की 08 लाईट वाली 12.05 मी0 लम्बे पोल में नगर के 10 प्रमुख स्थानों के हाईमास्ट लाईट की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य से सम्बन्धित ई–निविदायें दिनांक 21.10.2019 को सायं 05 बजे तक ई–प्रोक्योरमेंट वैबसाइट www.etender.up.nic.in पर आनॅलाइन के माध्यम से आमन्त्रित करती है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद में निहित होगा। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्ते तथा विस्तृत विवरण ई–प्रोक्योरमेंट वैबसाइट www.etender.up.nic.in पर देखा जा सकता है:–

निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि			दिनांक 11.10.2019 से 21.10.2019 को सायं 05 बजे तक		
निविदा खोलने की तिथि			दिनांक 22.10.2019 को प्रातः 11 बजे के बाद		
क0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि	धरोहर राशि	निविदा मूल्य 18 % GST सहित	कार्य की अवधि
1	शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत अनुभवी ठेकेदारो/रजिस्ट्रर्ड फर्मो को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर राज्यवित्त आयोग की प्राप्त धन राशि से नगर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रदेश के नगर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये जाने वाली एल0ई0डी0 लाईटों/ल्यूमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत दिशानिर्देशों में संशोधन विषयक शासनादेश सं0–818/नौ–8–2018–96ज/2015 नगर विकास अनुभाग–08 लखनऊ दिनांक–27.03.2018 द्वारा एल0ई0डी0 लाईटो के तकनीकी मानाकों में किये गये परिवर्तन के अनुसार 150वाट क्षमता की 08 लाईट वाली 12.05 मी0 लम्बे पोल में नगर के 10 प्रमुख स्थानों के हाईमास्ट लाईट की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य	5488000	110000	6490	45 दिवस

तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले कागजात का विवरण:–

1. निविदा शुल्क सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आडर्स की स्कैन प्रति एवं धरोहर राशि(**EMD**) प्रमाण–पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पलिका परिषद सिकन्द्राबाद,बुलन्दशहर के पद नाम से बन्धक करानी अनिवार्य होगी।
2. आयकर विभाग का पंजीकरण स्वप्रमापिणत छायाप्रति। (फर्म के नाम अथवा प्रोपराईटर के नाम)
3. जी0एस0टी0 का पंजीकरण स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. जिस कम्पनी का सामान आपूर्ति किया जायेगा उस कम्पनी का स्वयं का उत्पादनकर्ता होने अथवा निर्माता कम्पनी का अधिकृत डीलरशिप के प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
5. आपूर्ति की जाने वाली लाईटें एवं गैलवेनाइश पोल एक ही निर्माता कम्पनी/फर्म का होना चाहिये तथा फर्म /कम्पनी की उत्पादनकर्ता यूनिट इण्डिया में होने का प्रमाण–पत्र/साक्ष्य होना अनिवार्य है।
6. निर्माता कम्पनी के पास जांच हेतु अप्रूव्ड लैब होनी चाहिये।
7. एल0ई0डी0 लाईटों का निर्माता कम्पनी भारत सरकार का राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड–03 उपखण्ड (II) इलैक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–2403 नई–दिल्ली 17 अगस्त 2017 तथा शासनादेश सं0–818/नौ–8–2018–96ज/2015 नगर विकास अनुभाग–08 लखनऊ दिनांक–27.03.2018 के अनुसार स्ट्रीट लाईट हेतु एल0ई0डी0 लाईटों के लिये दिये गये भारतीय मानक 10322(भाग–5/खण्ड–3) 2012 के अर्न्तगत होनी अनिवार्य है। अतः बी0आई0एस0 रजिस्ट्रेशन (भारतीय मानक 10322(भाग–5/खण्ड–3) 2012) का सी0आर0एस0 एवं ए.ए.ए. कैटेगरी में भी मानता प्राप्त प्रमाण–पत्र/साक्ष्य होना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागो/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्त संस्थाओं/निकायों में ई–निविदा प्रणाली के सम्बन्ध विषयक शासनादेश संख्या–1/2018/3070/78–2–20188888/42आई0टी0/2017(22) आई0टी0 एवं इलैक्ट्रोनिक्स अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी 2018 के प्राविधानों के अनुसार निविदादाता को निविदा अपलोड करने के समय तकनीकी बिड के उपरोक्त वर्णित कागजातों की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड की जायेगी। तकनीकी बिड से सम्बन्धित कागजात निविदा आमन्त्रित किये जाने की अन्तिम तिथि की सायं 5.00 बजे तक नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद के प्रकाश विभाग में जमा कराना आवश्यक है। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

अन्य शर्तें

8. शासकीय कर जैसे:– जी0एस0टी0 आदि के सम्बन्ध में जो भी शासकीय व्यवस्था होगी, वह शासनादेश के अनुसार अनुमान्य होगी।
9. सशर्त अथवा तार द्वारा प्रेषित निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा।
10. अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर के द्वारा किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है।
11. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर पर अपने व्यय पर अनुबन्ध लिखवाना होगा।
12. यदि कार्य शासकीय अनुदान के अर्न्तगत कराया जाना होगा तो भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तो का कतिपय अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

13. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को कार्य की लागत की नियमानुसार 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करानी होगी जो कार्य समाप्ति के 06 माह बाद वापिस की जा सकेगी। अनुबन्ध के समय कार्यालय द्वारा निर्धारित जमानत राशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी। जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद के नाम से बन्धक होगी।

14. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये गये सामान में गारन्टी अवधि में समय-समय पर आने वाली तकनीकी खराबी को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित नही कराया जायेगा तो उसकी जमानत धनराशि पालिका पक्ष में जब्त करते हुए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

15. निविदादाता किसी करणवश निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे तो ऐसी दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा की उक्त कार्य को किसी अन्य ठेकेदार से करा ले। इस प्रकार शेष कार्य पूर्ण कराने में प्रथम पक्ष की जो अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी उसको द्वितीय पक्ष से प्रथम पक्ष पूर्ण करा लेगा तथा द्वितीय पक्ष की जमानत की धनराशि को जब्त कर लेगा।

16. इस कार्य का अनुबन्ध करने के समय शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने के लिए नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद स्वतन्त्र है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिकन्द्राबाद

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
सिकन्द्राबाद

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :- 1. अपर जिलाधिकारी महोदय (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को उपरोक्त निविदा सूचना की हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 संलग्न कर इस आश्य से प्रेषित है कि उपरोक्त निविदा सूचना को जिले की बेवसाईट **http:/bulandshahr.nic.in** पर अपलोड करने का कष्ट करे।

3. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिकन्द्राबाद